Conduct of Elections Rules 1961 (Statutory Rules and Order) FORM 21 C (See Rules 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act. 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State/Union Territory) from (159) ASPUR (ST) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Sh. Gopichand Meena VPO Myala Tehsil Sabla sponsored by Bharatiya Janata Party has been elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – ASPUR Date – 11-12-2018

(SHANKAR CAL BALVI)
Returning Officer (SDM)
Assembly Constitute Acy 21500 (ASPUR

प्ररूप 21 ग

(नियम ६४ देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लडा गया है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा। राजस्थान विधान सभा चुनाव 2018 के विधानसभा का निर्वाचन 159—आसपुर निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता/करती हूँ कि —

श्री गोपीचंद मीणा पता मु.पो. म्याला तहसील साबला द्वारा प्रयोजित भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त) को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थानः– डूंगरपुर

तारीखः 11.12.2018

